

न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट

लखन लाल

बनाम

गोविन्द आदि

प्रकीर्ण वाद सं०-330/2019

CNR N.- UPCH04004919-2019

धारा-156(3) दं०प्र०सं०

थाना-कर्वी, जिला चित्रकूट

08.10.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली वास्ते हाजिरी व परिवादी पैरवी हेतु नियत चल रही है। विगत कई तिथियों पर आवेदिका/प्रार्थिया की ओर से कोई उपस्थित नहीं था, जिस कारण उसे पैरवी हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया गया, परन्तु आज भी परिवादी की ओर से पैरवी हेतु कोई उपस्थित नहीं है जिससे प्रतीत होता है कि परिवादी प्रकरण के संचालन में कोई रुचि नहीं ले रही है।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अदम पैरवी में निरस्त किये जाने योग्य है।

तदनुसार परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद धारा 204 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चित्रकूट

J.O.Code-UP1773